

## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

रूपाराम

बनाम

गनीया देवी वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट  
व 2013/00124

मु.नं. एवं सन 97/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
12-03- 2020	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर खाता विभाजन के दावे में मौका व रिकार्ड के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निशेधाज्ञा को ताफैसला स्थायी करने हेतु निवेदन किया। इसका वकील अप्रार्थी ने कोई विरोध नहीं करने पर पूर्व फर्द अहकाम आदे 1 दिनांक 07.11.2013 को प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि की हद तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली फौल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

--	--	--